लक्ष्य 10 राष्ट्रों के अन्दर और उनके बीच असमानता को कम

2030 तक	
10.1	आबादी के सबसे निचले 40 प्रतिशत लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।
10.2	हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल धर्म, अथवा आर्थिक या अन्य स्थिति के हों
10.3	समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए भेदभाव परक कानूनों, नीतियों और व्यवहारों को समाप्त करना और इस संबंध में उपयुक्त विधान, नीतियों और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।
10.4	खासकर मौद्रिक वेतन, तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों को अंगीकृत करना और क्रमशः उच्चतर समानता प्राप्त करना।
10.5	वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों के विनियमन तथा अनुवीक्षण को बेहतर बनाना और ऐसे विनियमनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।
10.6	वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय तथा वित्तीय संस्थानों में निर्णयकारी प्रक्रिया में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तथा स्वर सुनिश्चित करना ताकि संस्थानों को अध्का प्रभावी, विश्वसनीय, उत्तरदायी तथा विधायी बनाया जा सके।
10.7	लोगों को व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास और गतिशीलता को सुगम बनाना जिसमें सुनियोजित तथा सुप्रबंधित प्रवास नीतियां शामिल हैं।
10.क	विश्व व्यापार संगठन के समझौता के अनुसार विकासशील देशों और खासकर सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार के सिद्धांत का कार्यान्वयन।
10.ख	खास कर सबसे कम विकसित देशों, अफ्रीकी देशों, छोटे द्वीपों, विकासशील राज्यों, तथा जमीन से घिरे विकासशील देशों के ऐसे राज्यों के लिए, उनकी राष्ट्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित राजकीय विकास सहायता तथा वित्तीय प्रभाव को प्रोत्साहित करना जिनकी आवश्यकताएं सर्वाधिक हैं।
10.ग	प्रवासियों के लेन–देन को घटाकर 3 प्रतिशत से कम करना तथा 5 प्रतिशत से अधिक लागत वासी जमा व्यवस्थाओं को समाप्त करना।

10

राष्ट्रों के अन्दर और उनके बीच असमानता को कम

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम 2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड (जिला अवयव) (ACA) (M/o PR/M/o Finance) 3. अनुसूचित जाति के लि विकास योजना (Core of the Core) 4. अन्य पिछड़ वर्गा विमुक्त, घमंतू एवं अर्ध–घुमंतू (Core of the Core) 5. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विकास योजना (EBCs) 6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फण्ड (BRGF)(ACA)	1. केन्द्र से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम में अनुदान 2. जम्मू–कश्मीर के युवाओं के लिए उड़ान योजना 3. पहल–उपभोक्ता योजना सीधे एलपीजी हस्तांतरण लाभ 4. एलपीजी सब्सिडी छोड़ दो अभियान 5. मुद्रा योजना	लक्ष्य 10.1	वित्त, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन,शहरी विकास, सूक्ष्म मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यम, जनजातीय मामले, कौशल विकास एवं उद्यमिता
		लक्ष्य 10.2	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्प संख्यक मामले, उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र विकास, कानून एवं न्याय
		लक्ष्य 10.3	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कानून एवं न्यायए जनजातीय मामले
		लक्ष्य 10.4	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कानून एवं न्यायए जनजातीय मामले
		लक्ष्य 10.5	वित्त
		लक्ष्य 10.6	वित्त
		लक्ष्य 10.7	ओवरसीज इंडियन अफेयर्स
		लक्ष्य 10.क	विदेशी मामले, वाणिज्य, औद्योगिक नीति एवं पदोन्नति विभाग
		लक्ष्य 10.ख	वित्त
		लक्ष्य 10.ग	वित्त

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mapping080616-DG_0.pdf

खामियां और चुनौतियां

भारतीय संदर्भ में विशेष ध्यान सामान्य आबादी एवं अनुसचित जाति(दलित) (16.6 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति(आदिवासी)(8.2 प्रतिशत), मुस्लिम अल्पसंख्यक(14 प्रतिशत), शहरी गरीब आबादी, प्रवासी जनसंख्या, खासकर कमजोर/असुरक्षित आदिवासी, आंतरिक विस्थापित लोग, टकराव से पीड़ित लोगों, सड़कों/गली के बच्चों और अनाथों, बेघर लोगों के बीच असमानताओं को कम करना है। संविधान के अनुच्छेद 334, 73वें एवं 74वें संशोंधनों के माध्यम से निर्णय लेने में समावेश का प्रावधान है।

इस संबंध में विकासशील एवं कमजोर राष्ट्रों में वित्तीय तंत्र विकसित एवं उनकी आवाज को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के विस्थापन को रोकने की भी आवश्यकता है।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय असमानता का प्रश्न है भारत बहुत सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी–20, विश्व व्यापार संगठन में यह सुनिश्चित करता है कि विकसित राष्ट्र गरीब राष्ट्रों को संसाधनों का हस्तांतरण करे और अच्छे व्यापार का प्रबंध करे। भारत भी कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक रूप से प्रयासरत है क्योंकि यह असमानता बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है।

पूरे विश्व के देश यह प्रयास कर रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को प्रभावी रूप से नियमित किया जाए जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियत्रिंत किया जा सके। विकसित देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर किया जा सके। अर्थव्यवस्था के उतार–चढ़ाव का प्रमुख कारण वैश्विक नुकसान है साथ ही वैश्विक वित्तीय मानचित्र को सुधारने की जरूरतर है और इसमें विकासशील देशों के अधिक अनुकूल बनाने एवं उनके प्रतिनिधित्व की अधिक से अधिक आवश्यकता है।

वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण में हम यह मानते हैं कि विकसित वित्त प्रवाह उभरते एवं विकासशील देशों की ओर होनो की आवश्यकता है। इसलिए हम विश्व बैंक से अपील करते हैं कि विकसित वित्त की प्राथमिकता ऋण देने की लागत में कमी करें और नवीन ऋण तंत्र विकसित करे। (ब्रिक्स, 2014)। भारत नये क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि नव विकास बैंक का हिस्सा है। (पहले इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता था।) इसका उद्देश्य है 'ब्रिक्स की स्थिर विकास प्रोजेक्टों एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थ तथ विकासशील देशों की ओर संसाधनों को गतिमान किया जाए।''

10

राष्ट्रों के अन्दर और उनके बीच असमानता को कम

सुझाओ

1. विकसित देशों को यह सुनिश्चित करना है कि वे वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करें वैश्विक उतार चढाव के कारण हैं वैश्विक सुधारों से विकासशील देशों का वंचित होना वैश्विक वित्तीय मानचित्र को सुधारने से विकासशील देशों में सुधार कर विकसित देश उनके और अनुकूल बनें और उनको प्रतिनिधित्व देने में मदद करें।

2. सामाजिक बहिष्कृत और हाशिए के लोगों के समूह बनाएं और उनके विकास में व्याप्त असमानताओं की अलग से आधार रेखा बनाए। यह सिफारिश की जाती है कि विकास के अलग–अलग स्तरों पर होने वाली असमानताओं के लिए प्रशासन के सभी स्तरों पर पंचायत से शहरी निकायों से जिलों तक और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभाजित करें।

3. विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम समुदायों को चिन्हित करें और उनमें व्याप्त असमानताओं जैसे लिंग, उम्र, अशक्तता, पेशे, यौन अभिविन्यास ये ऐतिहासिक, सामाजिक एवं ढांचागत असमानताएं हैं।

4. एक व्यापक 'भेदभाव के खिलाफ' कानून की घोषणा करें जो प्रशासन एवं विकास सेवाओं में व्याप्त भेदभावों को समाप्त करे। सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं हाशिए के समुदायों के प्रति संवेदनशीलता, समझ, मानसिक रूप से तैयार करने के तंत्र को प्रोत्साहित करें। एक जवाबदेह मशीनरी तैयार करें जो इन समुदायों के साथ समान और भेदभाव रहित तरीके से पेश आए।

5. कानून बनाएं, अनुसूचित जातित उप योजना, अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अल्पसंख्यक–क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाए ताकि इन समुदायों को समावेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और असमानता को कम किया जा सके।

6. आवश्यक भौतिक इन्फ्रास्ट्रचर करें, उपकरण और तंत्र विकसित करें सार्वजनिक स्थानों पर विक्लांगों तक पहुंचें, विकास कार्यक्रमों में सहभागी बनें और इनका लाभ लें।

7. अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अंतर्गत भेदभाव का निषेध करने एवं असमानताओं को खत्म करने के तंत्र को मजबूत किया जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए।

8. आंतंरिक विस्थापन एव प्रवासियों के लिए सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के आधार पर होने वाले भेदभाव और असमानताओं के बारे में बनी नीतियों का पुनः मूलयांकन करें।